

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 169 / 2019

तारीख रजु 16.10.2019

उनवान

1. देवीलाल पुत्र गुलाब जाति मीना निवासी सिघान मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली
—————वादी

बनाम

1. भूर सिंह पुत्र जमना लाल मीना बगै० निवासी सिघान मीना तहसील हिण्डौन जिला
करौली

—————प्रतिवादीगण 02

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री मोहन अवस्थी एडवाकेट ।

प्रतिवादी की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं ।

निर्णय

दिनांक 11.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर से वकालतन एक दावा स्थित ग्राम सिघान मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली के खसरा नंबर 470,471,472,632 का दावा पेश किया गया ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया । इसी दौरान वार्दी वकील द्वारा दिनांक 10.02.2020 को निवेदन किया कि वादी दावा नहीं चलाना चाहते हैं । दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है ।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 169/2019 देवीलाल बनाम भूरसिंह नोट प्रेस में खारिज किया जाता है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

